Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding section 81 and 33 of Delhi Land Reforms Act.

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के सेक्शन 81 एवं 33 के कारण दिल्ली के किसानों के उत्पीड़न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

दिल्ली के किसान सेक्शन 81 के कारण अपनी कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में ग्राम सभा में निहित होने के डर से हमेशा भयभीत रहते हैं। अगर वे उस भूमि पर अपने अथवा माली के रहने के लिए एक कमरा भी बनवा लेते हैं, तो पटवारी उसकी जमीन को ग्राम सभा में शामिल करने की धमकी देकर उससे रिश्वत की मांग करता है तथा रिश्वत न देने पर उसको सेक्शन 81 के तहत नोटिस दे दिया जाता है और उसकी जमीन को ग्राम सभा में शामिल कर लिया जाता है।

आज अधिकतर खेतों में वाटर लेवल नीचे जाने के कारण बोरिंग फेल हो गए हैं तथा नए बोरिंग कराने की अनुमति नहीं है। आप ही बताएँ कि बिना पानी के खेती कैसे हो सकती है? अगर पानी के अभाव में खेत खाली रह जाते हैं, तो भी सेक्शन 81 का नोटिस दे दिया जाता है। ये दोनों ही कानून विरोधाभासी हैं। अगर इसको जारी रखना हो, तो खेतों में बोरिंग करने की परमिशन दी जाए।

तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के सेक्शन 81 की उपयोगिता काफी हद तक समाप्त हो रही है तथा यह मात्र किसानों के उत्पीड़न तथा सरकारी अधिकारियों के लिए धन कमाने का माध्यम बन गया है।

सेक्शन 33 कहता है कि कोई भी किसान अपनी आठ एकड़ से कम जमीन नहीं बेच सकता। अगर उसको जमीन बेचनी है, तो पूरी आठ एकड़ जमीन ही बेचनी होगी। आज लाखों किसान ऐसे हैं, जिनके पास आठ एकड़ से कम भूमि है।

इस सेक्शन के कारण किसान अपनी सम्पत्ति को अपनी जरूरत के समय नहीं बेच पाता है और अगर बेचता भी है, तो सेक्शन 33 को बाईपास करने के लिए बची हुई जमीन को पैसा खर्च करके उसे मजबूरी में अपने बच्चों या रिश्तेदारों के नाम करानी पड़ती है, जिसकी वजह से वे बुढ़ापे में भी तंग होते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि दिल्ली के किसानों के इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सेक्शन 81 तथा 33 को निरस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। ये दोनों धाराएँ भ्रऐटाचार को बढ़ावा देती हैं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Kanwar Singh Tanwar.